2024/44

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला सांतपुर
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 11 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20.03.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.01.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 03.03.2022, 16.03.2022, 22.08.2022, 15.10.2022 एवं 27.05.2023 को जिला कलक्टर सिरोही को श्री वीरेन्द्रदत्त त्रिवेदी शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चन्द्रावती आबूरोड जिला सिरोही के विरूद्ध की गई शिकायतों से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.01.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 03.03.2022, 16.03.2022, 22.08.2022, 15.10.2022 एवं 27.05.2023 को जिला कलक्टर सिरोही को श्री वीरेन्द्रदत्त त्रिवेदी शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चन्द्रावती आबूरोड जिला सिरोही के विरूद्ध की गई शिकायतों से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2024/96 दिनांक 18.03.2024 के द्वारा अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner